

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-217 / 1994 / लिंक.नं.5159 / अलेसे-III / 2182

दिनांक : 09.08.2018

कार्यालय आदेश

श्री श्याम लाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान उद्यान, शास्त्रीनगर, जयपुर के पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 27.07.2018 के आवेदन अनुसार माह सितम्बर 2018 में दिनांक 13.09.2018 से 03.10.2018 तक पुत्री को शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाने हेतु शिकागो (अमेरिका) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगे।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में उठरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन / फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगे।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय / विदेश सेवा गृहण नहीं करेगे।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगे।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगे।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगे।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगे।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-217 / 1994 / लिंक.नं.5159 / अलेसे-III / 2182

दिनांक : 09.08.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान उद्यान, शास्त्रीनगर, जयपुर।
- 2 श्री श्याम लाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान उद्यान, शास्त्रीनगर, जयपुर।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)